

International Travel House Limited An ISO 9001:2015 Certified company CIN.: L63040DL1981PLC011941

11th July, 2023

The General Manager Dept. of Corporate Services **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers **Dalal Street** Mumbai 400 001

Dear Madam / Sir,

Subject: Publication of Notice Re: Transfer of Unclaimed Dividend and Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund

We enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, copies of the newspaper clippings of the Notice re: Transfer of Unclaimed Dividend and the Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund, published on July 11, 2023 in Delhi editions of the following newspapers:

- 'Financial Express' (English), and
- 'Jansatta' (Hindi). \geq

The aforesaid Notice was also published, inter alia, in the Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Mumbai, Kolkata, Chandigarh, Pune, Lucknow, Kochi and Ahmedabad editions of Financial Express.

Kindly, take the same on your records.

Thanking you

Yours faithfully, For International Travel House Limited

Meetu Gulati **Company Secretary & Compliance Officer** Encl: A/a



Registered and Corporate Office : 'Travel House', T-2, Community Centre, Sheikh Sarai Phase-I, New Delhi-110017, India Tel: +91 11 47662200, 26017808 E-mail: Investor_TH@ith.co.in, Web: www.internationaltravelhouse.in Approved by Department of Tourism, Government of India ADTOI + IATA + PATA + TAAI + IATO

10 MARKETS

FINANCIAL EXPRESS



Dated: 10th July, 2023

-/Sd Meetu Gulati Company Secretary

| जनसता |

International Travel House

सीआईएनः L63040DL1981PLC011941 रजि. कार्यालयः 'ट्रैयल झाउस', टी-2, सामुदायिक केंद्र, शेख सराय, फेज-I, नई दिल्ली-110017, फोनः +91 11 26017808 ई-मेलः investor_TH@ith.co.in वेबसाइटः www.internationaltravelhouse.in कंपनी के दवारहित लामांश और इविवटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरण

सदरयों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015–18 के लिए उन दावा न किए गए लाभांश और कंपनी के इक्विटी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश पात्रता कंपनी के अर्थतनिक लाभांश खाते में खानांतरण की तारीख से लगातार सात वर्षों तक दावा न की गई हो, को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, रथानांतरण और रिफंड) नियम, 2018 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, 11 अक्टूबर, 2023 को केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में रथानांतरण हेतू देय होगी। प्रासंगिक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.internationaltravelhouse.in पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के उप—खंड 'सामान्य जानकारी' के तहत उपलब्ध हैं। इस संबंध में जानकारी संबंधित सदस्यों को कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत पत्र भेजे जा रहे हैं। सदरयों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त के संबंध में 9 अक्टूबर, 2023 तक Investor TH@ith.co.in पर एक ईमेल भेजकर या कंपनी के रजिरद्वार और शेयर ट्रांसफर एजेंट--मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ--65, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली 110 020, फोन 011-4140 8149, ईमेलः admin@mcsregistrars.com पर संपर्क करके अपने दावे दर्ज करें। यदि उस तिथि तक कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो , कानून के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, कंपनी.ऐसे लाभांश और शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित कर देगी।

> इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड इस्ता /-मीतू गुलाटी कंपनी सचिव

दिनांक: 10 जुलाई, 2023

11 जुलाई, 2023 19